भूमिका

कारगिल युद्ध के बाद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा के. सुब्रह्मणयम कमेटी रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रत्येक बल के लिए एक सीमा निर्धारित करते हुए, सभी अर्द्ध सैनिक बलों को पुनः स्थानन किया गया। गृह मंत्रालय के अधीन एस.एस.बी. को 2001 में सीमा रक्षा बल घोषित किया गया और 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल रखा गया। 19जून, 2001 में एस.एस.बी. को भारत- नेपाल सीमा (1751 किमी) की रक्षा का दायित्व सौंपते हुए, उस क्षेत्र की मुख्य आसूचना एजेंसी नियुक्त किया गया। 12 मार्च 2004 को एस. एस. बी. को भूटान की मुख्य आसूचना एजेंसी घोषित करते हुए इसे भारत- भूटान सीमा की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। बल के लिए 27 मार्च, 2004 का दिन गौरव से परिपूर्ण था, जब इसे राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया गया। एस.एस.बी. अब उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। एस.एस.बी. की चार्टर ऑफ ड्यूटी में समाहित है-

- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता में सुरक्षा की भावना विकसित करना।
- भारत क्षेत्र में सीमा पार अपराध और अनाधिकृत प्रवेश व निकासी को रोकना ।
- तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

खुली सीमाओं की सुरक्षा का कार्य बंद सीमाओं की सुरक्षा की तुलना में अधिक कठिन है। 2450 किमी लंबी भारत- नेपाल और भारत- भूटान सीमा की रक्षा अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि खुली सीमाएं अवैध व्यापार और तस्करों को प्रोत्साहित करने के साथ- साथ, आतंकवादियों/ राष्ट्र विरोधी अतिवादियों के लिए सीमा के अंदर घुसपैठ कर, राष्ट्र सुरक्षा को खतरा पैदा करने का अवसर प्रदान करती हैं। एक ओर पोरस क्षेत्र और वीज़ा मुक्त क्षेत्र होने के साथ दूसरी ओर सीमावर्ती देशों से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध होने के कारण सम्पूर्ण सीमा को सील करना संभव नहीं है, किंतु अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाते हुए एस.एस.बी. ने संबंधों की रक्षा करते हुए, सीमा की सुरक्षा को प्रभावी रुप से कार्यान्वित किया है।

विशेष सेवा ब्यूरो संगठन का सशस्त्र सीमा बल में रुपांतरण बहुत प्रभावी और निर्विघ्न रुप से सम्पन्न हुआ है जिसका सकारात्मक प्रभाव भारत- नेपाल और भारत- भूटान की सुरक्षा में देखा जा सकता है।